न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:–354 / 2021 दायर दिनांक:–22.09.2021

जीसीएमएस नं. 2021 / 454

1. गोपाल पुत्र अमरसिह उम्र 32 साल जाति गुर्जर निवासी गढी पनवेडा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
2. कमला पत्नि पूरण पुत्री अमरसिह उम्र 42 साल जाति गुर्जर निवासी झिरना तहसील हिण्डौन जिला करौली।
3. भग्गो पत्नि गंगा पुत्री अमरसिंह उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासी कारवान तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
4. गुडडी पत्नि भरसिंह पुत्री अमरसिंह उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासी कारवान तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
5. खिलोनी पत्नि भूरसिंह पुत्री अमरसिंह उम्र 28 साल जाति गुर्जर निवासी कारवान तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
6. रामपति बेबा अमरसिंह उम्र 60 साल जाति गुर्जर निवासी गढी पनवेडा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
7. पप्पु उम्र 45 साल
8. लखन उम्र 42 साल
9. बिट्टु उम्र 34 साल

} पुत्रान रून्दी जाति गुर्जर निवासी गढी पनवेडा तहसील श्रीमहावीरजी

10. शीला पत्नि रामलाल पुत्री रून्दी उम्र 38 साल निवासी समोगर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
11. विसो बेबा रून्दी उम्र 62 साल जाति गुर्जर निवासी गढी पनवेडा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
12. रजोले पुत्र करना उम्र 62 साल जाति गुर्जर निवासी गढी पनवेडा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

––––––सायलान–21

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र हल्लू उम्र 55 साल
2. किशनसिंह पुत्र रामस्वरूप उम्र 28 साल
3. विशनसिंह पुत्र रामस्वरूप उम्र 25 साल
4. बनैसिंह पुत्र हल्लु उम्र 52 साल
5. भागमल पुत्र बनैसिंह उम्र 24 साल
6. राजेन्द्र पुत्र हल्लु उम्र 40 साल

} जाति गुर्जर निवासी गढी पनवेडा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

7. युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिण्डौन सिटी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested

8. तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

--गैरसायालन--08

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री शांति स्वरूप शर्मा अधिवक्ता सायल
2. [illegible] के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक 4-10-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा न0 470 रकबा 39 ऐयर, 498 रकबा 27 ऐयर, 499 रकबा 13 ऐयर, 500 रकबा 21 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.91 है0 स्थित ग्राम गढी पनवेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है, जिसमें सायलान का अमरसिंह का 1/2 व रूग्धी व रजोले 1/2 के हिस्सेदार है।

उक्त आराजी के खातेदार अमरसिंह पुत्र चिरंजी फौत हो चुका है जिसके वारिसान सायल संख्या 1 लगायत 6 है, तथा उसके तरके पर काबिज है, तथा विरासत से उक्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट है, लेकिन अभी तक विरासत का नामांतकरण सायलान के नाम नहीं खुला है, खातेदार रूग्धी पुत्र करना भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान सायल संख्या 7 लगायत 11 है, जो मृतक रूग्धी के तरके पर काबिज है, तथा कानूनन उक्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट है, लेकिन विरासत का नामांतकरण 7 लगायत 11 के नाम नहीं खुला है, सायलान अपने अपने हिस्से अनुसार स्व0 अमरसिंह व रूग्धी के हिस्से की आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने तथा तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है लेकिन बार बार निवेदन करने पर भी पटवारी हल्का ने नामांतकरण खोलकर तस्दीक नहीं करवाया है।

आराजी खसरा न0 470 रकबा 39 ऐयर वाके तन ग्राम गढी पनवेडा के पडोस मे दीगर खातेदार नत्थी पुत्र लौहरे, सरूपी पुत्री लोहरे, जवाली पुत्री शैली, लज्जा पुत्र नारायण व गुल्लो पुत्र नारायण की खातेदारी की भूमि खसरा न0 469 रकबा 38 ऐयर वाके तन ग्राम गढी पनवेडा स्थित है, जिस पर कब्जा काश्त गैरसायलान संख्या 1 लगायत 6 का है, जो आये दिन सायलान की आराजी खसरा न0 470 की डोलमेड को तोडते है, एवं हमेशा कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न करते है, तथा सायलान की उक्त आराजी में अतिक्रमण कर कब्जा करने की फिराक में रहते है, गैरसायलान अपनी बेझा हरकतों से [illegible] नहीं आयगें जब तक की उक्त आराजी खसरा न0 470 की [illegible]गी। तथा गैरसायलान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाया जावेगा कि [illegible] सायलान के आराजी खसरा न0 470 की डोल मेड को नहीं तोड तथा सायलान के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested

वादकरण बहक सायल विरूद्ध दिनांक 12.09.2021 को उत्पन्न हुआ जब गैरसायलान ने सायलान की डोल के अन्दर सायलान की आराजी में स्थित बबूल के पेड को बनियत चोरी

जबरन काट लिया एवं बुग्गा में भरकर जबरन अपने घर ले गये, सायलान के बार बार मना करने पर भी नहीं माने, गैरसायलान सम्पूर्ण डोल को अपनी होना बताते है जबकि उक्त डोल सायलान व गैरसायलान की शामलाती थी लेकिन गैरसायलान ने करीब 3 फिट जमीन में जबरन अतिक्रमण कर लिया एंव सायलान की आराजी में नई डौल बनाने का प्रयास किया इस घटना की थाना हिण्डौन सदर पर सूचना व रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी, पुलिस मौके पर भी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की जिसके कारण गैरसायलान के हौसंले बुलंद है, गैरसायलान ने सायलान को ऐलानिया धमकी दी है कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड पाई, हम धीरे धीरे तुम्हारी आधी जमीन पर कब्जा कर लेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फरमाया जाकर गैरसायालान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा न0 470 रकबा 39 ऐयर वाके तन ग्राम गढी पनवेडा तहसील श्रीमहावीरजी के उपयोग उपभोग, व कब्जेकाश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, सायलान की उक्त आराजी में अवैध अतिक्रमण का कब्जा नहीं करे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के हक हकूक पर कोई विपरीत प्रभाव पडे, सायलान को उसकी उक्त आराजी खसरा न0 470 से बेदखल नहीं करे सायलान की डोल मेड को नहीं तौडे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 8 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 22.03.2022 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 7 वाके ग्राम गढीपनवेडा तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में एकपक्षीय सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 7 खसरा नं0 470, 498, 499, 500 वाके ग्राम गढी पनवेडा, तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त [illegible] भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा [illegible] पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 22.09.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा न0 470 वाके ग्राम गढी पनवेडा की मौका की स्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 5-10-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:35:56 IST
Reason: SelfAttested